भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ।।

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/32/2015/एफ.सी./781

दिनॉक: 15-9-15

सेवा में,

विशेष सचिव (वन)
उत्तर प्रदेश शासन
बापू भवन, लखनऊ

विषय : फिरोजाबाद जनपद में शिकोहाबाद–मैनपुरी मार्ग (एस0एच0–84) किमी0 4–5 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम कंथरी के खसरा संख्या–820, 821/1, 822/2 पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी024/14–2–2015–800(82)/2015, दिनांक– 12.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियॉ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. प्रस्ताव का भाग– ।। मुख्य प्रस्ताव से अलग है, और दोनों में ही पृष्ठ संख्या नही दी गयी है।
2. भाग–2 के बिन्दु संख्या–13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आर्थिक बजट रूपये–23.23 लाख का है लेकिन पृष्ठ–43 पर संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में कुल लागत रूपये–2.43170 लाख (ब्रिक गार्ड के साथ 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु) दर्शायी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थान का ब्यौरा भी उपलब्ध नही कराया गया है।
3. भाग– ।। के बिन्दु संख्या–13(iii) प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र जमा नही किया गया है।
4. भाग–2 के बिन्दु संख्या–4 (ii) के अनुसार वानस्पति घनत्व का ब्यौरा एवं वृक्षों की संख्या संयुक्त निरिक्षण रिर्पोट के ब्यौरे के साथ मेल नही खाती है।
5. प्रस्ताव में कुल वृक्षों की सूची एवं पातन होने वाले वृक्षों का ब्यौरा नही दिया गया है।
6. भाग–3 में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की मुहर नही लगी हुई है।
7. भाग–IV को सक्षम प्राधिकरण द्वारा भरा नही गया है।
8. भाग–V में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का न तो नाम लिखा है न ही पदनाम और न ही मुहर लगी हुई है।
9. वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र बिना संदर्भित संख्या एवं दिनांक के प्रस्तुत किया गया है।
10. पृष्ठ 12 में प्रस्तावित वन भूमि की गणना सही नही है एवं ले आउट के ब्यौरे एवं मानचित्र से मेल नही खाती है।
11. पृष्ठ 13 में वैकल्पिक भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र रेंज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है जो कि मान्य नही है।
12. पृष्ठ 14 में संलग्न प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।

14/9/15